MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर नगरपालिका कलानौर

JE2024

E-mail ID- secy-kalanaur@ulbharyana.gov.in Off Tel. No. 01258-299022, 299422.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र, कलानौर में अनेक स्थानों पर भवनों/दुकानों के स्वामी/कब्जे धारकों द्वारा सार्वजनिक सड़क, गली, फुटपथ एवं नालियों पर बिना अनुमति रैम्प, सीढ़ीयाँ, चबूते एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण किए गए हैं, जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः सभी संबंधित भवन/दुकान स्वामी एवं कब्जेधारकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिवस के भीतर सार्वजनिक भूमि पर किए गए सभी अवैध रैम्प, सीढ़ीयाँ, चबूते एवं अन्य अतिक्रमण स्वयं हटा लें। निर्धारित अवधि के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो नगरपालिका समिति, कलानौर द्वारा बिना किसी अन्य सूचना के नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी तथा इस कार्यवाही पर होने वाला समस्त व्यय, जुर्माना एवं अन्य देय शुल्क संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार वसूल किया जाएगा। इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा। अतः सभी नागरिकों से जनहत में सहयोग करते हुए सार्वजनिक मार्गों, फुटपथों एवं नालियों को अतिक्रमण मुक्त रखने का अनुरोध किया जाता है।

सचिव
नगरपालिका कलानौर,

क्रमांक नं0 :– एम0सी0के0/2026/2999-3004 दिनांकः– 6/8/26

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान, नगरपालिका, कलानौर – जनसाधारण को जागरूक करने हेतु।
2. उप–प्रधान, नगरपालिका, कलानौर – जनसाधारण को जागरूक करने हेतु।
2. समस्त वार्ड पार्षदगण, नगरपालिका, कलानौर – अपने–अपने वार्डों में उक्त सार्वजनिक सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर आमजन को जागरूक करना सुनिश्चित करें।
3. श्री विशाल लिपिक, नगरपालिका कलानौर – उक्त सार्वजनिक सूचना की मुनादी करवाना सुनिश्चित करें तथा विशेष रूप से मुख्य बाजार एवं अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर उक्त सूचना चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
4. डायरी एवं डिस्पेच क्लर्क – उक्त सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) – उक्त सार्वजनिक सूचना को ई–मेल, व्हाट्सएप, नगरपालिका कलानौर की वेबसाइट एवं सोशल मीडिया माध्यमों पर प्रसारित करना तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।

05/08/26

सचिव
नगरपालिका कलानौर,

Scanned with OKEN Scanner